



2026:AHC:7941

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 42427 / 2025

तोताराम @ तोता

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: अनिल कुमार बिंद

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : —

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव,

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार बिंद तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री याज्ञवल्क पांडेय को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत आवेदक **तोताराम @ तोता** की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 49 वर्ष 2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कम्पिल, जनपद फर्रुखाबाद में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण कारणों से इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आपराधिक इतिहास के बीस मामलों का पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण किया गया है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक किसी गैंग का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है तथा उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी भी गैंग की गतिविधियों में न तो सहयोग किया है और न ही सहायता प्रदान की है। उक्त मामलों के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक दिनांक 13.09.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा यह आश्वासन देता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि जमानत मिलने पर वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालयों में लंबित मामलों की अधिकता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है।

आवेदक के अधिवक्ता ने प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एस.सी.सी. 648 के निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया है कि केवल अनेक आपराधिक मामलों का लंबित होना जमानत निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, परंतु आवेदक के विरुद्ध उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला इंगित नहीं कर सके।

समस्त तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि यह जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त मामला है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आदेशित किया जाता है कि आवेदक **तोताराम @ तोता** उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है को न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समरूप धनराशि का निजी बंधपत्र एवं दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस के समक्ष सत्य प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव या धमकी नहीं डालेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) वाद के उद्घाटन, (ii) आरोप निर्धारण तथा (iii) धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत बयान दर्ज करने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह उपबंध प्रस्तुत करेगा कि जब साक्ष्य हेतु गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह किसी भी तिथि पर स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल जमानत आवेदन के निस्तारण तक सीमित है और इसे वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा।

(श्री अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 13 जनवरी, 2026

दीपक/